मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल–462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 268 /विधि /प्रनिबो/2021 भोपाल, दिनांक 03 FEB 2021

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी;
क्षेत्रीय कार्यालय,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/धार/सिंगरौली/गुना/ग्वालियर/सिंगरौली/सागर/रीवा
सतना/कटनी/शहडोल/छिन्दवाडा/जबलपुर/पीथमपुर/मण्डीदीप

विषयः– भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28.03.20 के पालन बावत्।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का आदेश 659/2020/32–3 भोपाल दिनांक 23.01.2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न है । आदेशानुसार हाइवे प्रोजेक्ट की परियोजनाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– आदेश की प्रति

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1 समस्त यूनिट हेड, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2 प्रभारी अधिकारी,आई टी शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

Upload on website
Programme
06/02/2021

मध्यप्रदश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23जनवरी,2021

क्रमांक /659/2020/32-3- भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 28/3/2020 में साधारण मिट्टी (आर्डरनरी सॉयल) को हाइवे प्रोजेक्ट के निर्माण में खनन व उपयोग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे से मुक्त रखा गया है। उपरोक्त अधिसूचना में मुरम शब्द का उपयोग नहीं है। हाइवे इत्यादि रेखीय परियोजनाओं में सभी प्रकार की मिट्टियों का उपयोग आवश्यकतानुसार भराव हेतु किया जाता है। अतः उपरोक्त छूट के दायरे में सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें मुरम भी सम्मिलित हो, के खनन प्रकिया को पर्यावरण स्वीकृति से मुक्त माना जा सकता है।

खनन प्रकिया में वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है,अतः वायु अधिनियम,1981 की धारा-21 के अंतर्गत सम्मति लेना आवश्यक है तथा आवश्यकतानुसार जल प्रदूषण होने पर जल अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत सम्मति लेना भी आवश्यक है। हाइवे प्रोजेक्ट के निर्माण में विलंब न हो इस हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी परियोजनाओं हेतु पूरी परियोजना का एकजाई रूप में आवेदन प्राप्त होने पर एक साथ सीटीई तथा सीटीओ 15 दिवस के अंदर जारी करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है।

(राकेश कुशरे) 23/01/2021
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक 57 /659/2020/32-3 भोपाल, दिनांक 23दिसम्बर,2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव,मा0मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी,पर्यावरण ।
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय ।
4. सचिव,मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय।
5. अध्यक्ष/सदस्य सचिव,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग